–:: न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::–
बईजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मिसल न0 101/2022

बउनवान

1. धनराज पुत्र तोफान जाति हरिजन निवासी ग्राम कमोलर
2. राजेश पुत्र तोफान जाति हरिजन निवासी ग्राम कमोलर
3. सुरेन्द्र पुत्र तोफान जाति हरिजन निवासी ग्राम कमोलर
4. बसन्तीबाई पत्नी तोफान जाति हरिजन निवासी ग्राम कमोलर

तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादीगण–

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा । – प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89आर टी एक्ट

उपस्थिति :–
वादी की ओर से:– श्री सुशील कुमार शर्मा एडवोकेट व श्री अमित पांचाल एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– पैरोकार सरकार

दिनांक:– 3-1-2023

–:: निर्णय::–

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान मे खातास0 नई 187 के खसरान0 1328 की 0.65हेक्टर कुल 1किता की 0.65 हेक्टर आराजी स्थित है, उक्त आराजी वादीगण के एक मात्र शांति पूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है ।वादीगण द्वारा अपने खाते व कब्जे काश्त की वाद पत्र की मद न01 मे वर्णित आराजी के राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम घर के बोलते नाम के अनुसार ही दर्ज हो रहे है, जिसका पता वादीगण द्वारा आज से करीब एक माह पूर्व अपने खाते व कब्जे काश्त की उपरोक्त वर्णित आराजी की नकल लेकर बैंक कार्यालय मे जाकर कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु गये, तो बैंक अधिकारी द्वारा वादीगण के नाम व पहचान पत्र के नाम मे भिन्नता होने के कारण वादीगण को कृषि ऋण देने से मना कर दिया है। साथ ही वादीगण को प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाली राशि भी प्राप्त करने से वंचित होना पड रहा है ।वादीगण को अपना घर का बोलता नाम धन्नालाल, राजू, सूरजमल व सन्तीबाई दर्ज होने का पता चलने पर वादीगण द्वारा पटवारी हल्का महोदय

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

महोदय से राजस्व रेकार्ड मे अपने गलत नाम धन्नालाल के स्थान पर धनराज व राजू के स्थान पर राजेश व सूरजमल के स्थान पर सुरेन्द्र व सन्तीबाई के स्थान पर बसन्तीबाई दर्ज करवाने की कहने पर पटवारी हल्का द्वारा नाम दुरस्ती करने से मना कर दिया, तथा माननीय न्यायालय से आदेश लाने की बात कहकर दुरस्ती करने से मना कर दिया है। वादीगण का अपना घर का बोलता नाम धन्नालाल, राजू, सूरजमल व सन्तीबाई है, जबकि वास्तविक नाम धनराज, राजेश, सुरेन्द्र एवं बसन्तीबाई है, जिसकी पुष्टि वादीगण के पहचान के दस्तावेजो से होती है, जो वाद के साथ संलग्न है।वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड मे वादीगण का घर का बोलता नाम दर्ज होने से वादीगण को अपनी आराजी का विकास कार्य करवाने व सरकार से मिलने वाली सहायता, अनुदान राशि प्राप्त करने मे भी काफी परेशानी का सामना करना पडता है, ऐसी स्थिति मे वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है, कि वह माननीय न्यायालय मे घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती हेतु वाद प्रस्तुत कर अपने गलत नाम को दुरस्त करावे, जिसके लिए माननीय न्यायालय मे उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई, तथा बावजूद सूचना प्रतिवादी उपस्थित नही हुए, तथा प्रतिवादी फोरमल पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता भी नही है।

पत्रावली बहस वादी मे नियत की गई, जिसमे वकील वादीगण द्वारा वाद मे वर्णित तथ्यो को दौहराया, जिसके बाद पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन करने के बाद हम उक्त वाद को डिक्री किया जाना उचित समझते है, जो डिक्री किया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान मे खाता स0 नइ 187 के खसरा न0 1328 की 0.65हेक्टर कुल 1 किता की 0.65हेक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज वादीगण के घर के बोलते नाम धन्नालाल, राजू, सूरजमल व सन्तीबाई को दुरस्त किया जाकर वादीगण का वास्तविक नाम धनराज, राजेन्द्र, सुरेन्द्र एवं बसन्तीबाई दर्ज किये जाने की घोषणा की डिक्री पारित की जाती है, तथा उक्त घोषणा के अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे राजू के स्थान पर राजेश व सूरजमल के स्थान पर सुरेन्द्र व सन्तीबाई के स्थान पर बसन्तीबाई अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किये जाते है, इस आशय की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री वादीगण के हक

3.....

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

मे व प्रतिवादी के विरूद्व पारित की जाती है।तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है।नियमानुसार डिक्री पर्चा प्रथक से जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 3/1/2023 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई
आर. रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी

निर्णय बईजलास श्री राजेश डागा(आर ए एस) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
मिसल न0 101/2022 तारीख दायरा:–

बउनवान

1. धनराज पुत्र तोफान जाति हरिजन निवासी ग्राम कमोलर
2. राजेश पुत्र तोफान जाति हरिजन निवासी ग्राम कमोलर
3. सुरेन्द्र पुत्र तोफान जाति हरिजन निवासी ग्राम कमोलर
4. बसन्तीबाई पत्नी तोफान जाति हरिजन निवासी ग्राम कमोलर

तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादीगण–

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा । – प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89आर टी एक्ट

दिनांक:– 3/1/2023

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री राजेश डागा(आर ए एस) व हाजरी श्री ,श्री सुशील कुमार शर्मा एडवोकेट व श्री अमित पांचाल एडवोकेट वकील वादीगण एवं प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री .....मिन मुद्दायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:– वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान मे खाता स0 नइ 187 के खसरा न0 1328 की 0.65हेक्टर कुल 1 किता की 0.65हेक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज वादीगण के घर के बोलते नाम ध न्नालाल, राजू, सूरजमल व सन्तीबाई को दुरस्त किया जाकर वादीगण का वास्तविक नाम धनराज, राजेन्द्र, सुरेन्द्र एवं बसन्तीबाई दर्ज किये जाने की घोषणा की डिकी पारित की जाती है, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे राजू के स्थान पर राजेश व सूरजमल के स्थान पर सुरेन्द्र व सन्तीबाई के स्थान पर बसन्तीबाई अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

(राजेश डागा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद